बालक न्यायालय (सेशन न्यायाधीश) सीकर जिला सीकर

राजस्थान राज्य बनाम मनीष उर्फ बच्चिया आदि

सेशन प्रकरण संख्याः 117/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिएल्स जज	न व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.03.2026	1. विशिष्ट लोक अभियोजक श्री राजेन्द्र कुमार हुड्डा उपस्थित। अभियुक्ता सुधा कंवर मफरूर है। अभियुक्त सकील खान, दिनेश कुमार उर्फ दिनेश बारी, विरेन्द्र सिंह, योगेश वर्मा, धनराज, शक्ति सिंह, विजयपाल, अशोक, श्रवण व कमल डेलू अनुपस्थित की दरख़्वास्त हाजरी माफी अधिवक्तागण श्री राहुल चौधरी, श्री छोटूराम खेदड़, श्री भगवत सिंह चारण, श्री अशोक कुमार पंवार व श्री अंगद कुमार तिवाड़ी ने प्रस्तुत किए, जो आज के लिए स्वीकार किए जाते हैं। 2. अभियुक्त राकेश कुमार न्यायिक अभिरक्षा से जिला कारागृह, सीकर से जरिए वी.सी. उपस्थित। 3. अभियुक्तगण सतीश कुमार उर्फ पहलवान व सचिन उर्फ सचिन भिवानी न्यायिक अभिरक्षा से जिला कारागृह भिवानी से जरिए वी.सी. उपस्थित। अभियुक्त अजीत उर्फ जीतू बलोद वर जमानत प्रोडक्शन वारण्ट से जरिए उप कारागृह, फतेहपुर से जरिए वी.सी. उपस्थित। 4. अभियुक्तगण सरजीत पुत्र लीलूराम, नेमीचंद, सरजीत पुत्र सुबेसिंह, विक्रम, जतिन उर्फ जौनी पहलवान व गुलझारी उर्फ जीएल न्यायिक अभिरक्षा से उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर से जरिए वी.सी. उपस्थित। 5. अभियुक्तगण कुलदीप उर्फ टिंकू उर्फ कैडी, उमेश, मनीष उर्फ बच्चिया, गणेश, मुकेश उर्फ उर्फ बुल्लू व राकेश को उच्चसुरक्षा कारागृह, अजमेर से वी.सी. से उपस्थित नहीं है, जेल कर्मी ने बताया है कि उक्त अभियुक्तगण ने वी.सी. से उपस्थित आने से इन्कार कर दिया है। इस बारे में वी.सी. से उपस्थित जेल कर्मी से पूछा गया तो उसने बताया कि उक्त अभियुक्तगण अन्य प्रकरणों के अभियुक्तगण के साथ कैन्टिन खाते की राशि बढ़वाने, एस.टी.डी. वार्ता की समयावधि बढ़वाने एवं वार्ड बदलवाने आदि मांगों को लेकर दिनाँक 16.03.2026 से भूख हड़ताल पर है। 6. इस संबंध में अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर द्वारा महानिदेशक, कारागार, राजस्थान जयपुर को लिखे गये पत्र क्रमांक कारा./बं.शा./2026/996-1003 की प्रतिलिपि जरिये ईमेल इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पहले से ही सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर को उचित कार्यवाही हेतु भिजवायी गयी थी। अतः सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर से इस पत्र पर की गई कार्यवाही के संबंध में रिपोर्ट तलब की जावे। 7. साक्ष्य अभियोजन में कोई गवाह उपस्थित नहीं है।	

	गवाहान श्रीनिवास, तेजाराम के जमानती वारण्ट अदम तामील प्राप्त हुए है। पत्रावली पूर्व से दिनाँक 27.03.2026 हेतु नियत है। 8. पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनाँक 27.03.2026 को पेश हो, तब तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध अभियुक्तगण की न्यायिक अभिरक्षा अवधि बढ़ाई जाती है। 19/3/2026 (राजेन्द्र कुमार) (यूआईडी न. आरजे00151) न्यायाधीश, बालक न्यायालय, सीकर	